न्यायालय आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410

सिद्दीक पिता जब्बार मोहम्मद,
निवासी–27 बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया धार म.प्र. ....अपीलार्थी क्रमांक–1

विरूद्ध

1– अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, धार म.प्र.
2– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, धार म.प्र. ....प्रत्यर्थीगण

एवं

प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

अश्फाक पिता यासिन खाँ,
निवासी–04 राजेन्द्र मार्ग, गली क्र. 07 धार म.प्र. ....अपीलार्थी क्रमांक–2

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/प) धार म.प्र. ....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी अधिवक्ता –श्री एन.ए. शेख, अशहर अली वारसी प्रत्यर्थी/क्र. 2 अधिवक्ता– श्री अजय श्रीवास्तव

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक 19/08/2025 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, धार जिला धार के प्रकरण क्रमांक 0002/अ–74/2025–26 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 से असंतुष्ट होकर यह अपील लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत करने पर यह प्रकरण प्रारंभ किया गया।

2/ अनुविभागीय अधिकारी, धार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 02/अ–74/2025–26 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 के विरूद्ध दो पृथक–पृथक अपील संबंधित अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 02/अ–74/2025–26 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 के विरूद्ध की गई होने से दोनों अपील प्रकरणों का निराकरण इस आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

....2

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

3/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि:–

I. प्रत्यर्थीगण लोक निर्माण विभाग (भवन–पथ), उप संभाग, धार अनुसार धार स्थित इमामबाडा भवन, जो कि लोक परिसर है, जिस पर सदर मुस्लिम ताजिया कमेटी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया होकर, दिनांक 18.08.2023 को मुस्लिम ताजिया कमेटी को उक्त परिसर से बेदखल किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया।

II. लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस के विरूद्ध अनवर खान एवं मोहम्मद सिद्दीक (अपीलार्थी) द्वारा मुस्लिम ताजिया कमेटी के सदर होने की हेसियत से माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर में रिट याचिका क्रमांक 21410/2023 प्रस्तुत की गई। उक्त रिट याचिका में प्रत्यर्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया कि सिविल न्यायालय धार द्वारा आर.सी.एस. क्रमांक 11–ए/1976 में पारित आदेश दिनांक 31.07.1978 और डिक्री के माध्यम से इमामबाडा भवन, लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की संपत्ति होना घोषित किया गया होकर उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर की प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 96/1978 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.1985 के माध्यम से यथावत रखा गया है। उक्त निर्णय के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता का प्रकरण मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 के अंतर्गत निराकृत किया जाना चाहिये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा दिया गया बेदखली नोटिस 18.08.2023 निरस्त किया जावे। उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 21410/2023 में निर्णय दिनांक 22.0.2025 अनुसार बेदखली नोटिस दिनांक 18.08.2023 को निरस्त किया जाकर याचिकाकर्ता को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धार के समक्ष दिनांक 02.05.2025 को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धार को विधि अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

III. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग धार, जिला धार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर के निर्णय दिनांक 02.05.2025 इके परिपालन में मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया जाकर लोक निर्माण विभाग, धार के पत्र दिनांक 29.04.2025 अनुसार हटवाडा स्थित सरकारी इमामबाडा एवं चार दुकान क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 लोक निर्माण विभाग की संपत्ति होकर, जिस पर वर्तमान में सदर अनवर खा एवं मोहम्मद सिद्दीक (अपीलार्थी), मुस्लिम ताजिया कमेटी का बिना कोई वैध अनुमति के कब्जा होने से बेदखली अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने का लेख किया गया।

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

IV. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.04.2025 के परिपालन में अनवर खान एवं मोहम्मद सिद्दीक (अपीलार्थी), मुस्लिम ताजिया कमेटी दिनांक 02.05.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से, अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बेदखली अधिनियम, 1974 द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसके उपरांत अनवर खान एवं मोहम्मद सिद्दीक (अपीलार्थी) एवं अन्य आपत्तीकर्ता द्वारा जवाब/आपत्ती/लिखित तर्क मय दस्तावेजों एवं मौखिक तर्क अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। तद्उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी बेदखली अधिनियम, 1974 द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 14.07.2025 पारित करते किया गया। पारित आदेश अनुसार ताजिया कमेटी, धार द्वारा उक्त भवन पर अवैधानिक रूप से बिना किसी सक्षम वैध अनुमति के अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया होना पाया गया होने से ताजिया कमेटी एवं अन्य समस्त अप्राधिकृत अधिभोगियों को हटवाडा स्थित सरकारी इमामबाडा परिसर को 02 सप्ताह के भीतर खाने करने संबंधी आदेश पारित किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांर्थी क्रमांक–1 एवं अपीलांर्थी क्रमांक–2 द्वारा पृथक–पृथक अपीले इस अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4/ अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील मेमो, स्थगन आवेदन पत्र मय शपथ पत्र, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति, भत्ता फार्म, वकील पत्र आदि प्रस्तुत किये गये ।

5/ प्रकरण में केविएटकर्ता श्री भास्कर मालवीय, प्रभारी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग धार, जिला धार तर्फे अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता, की धारा 148–क के अंतर्गत केविएट प्रस्तुत की गई।

6/ अपीलार्थी क्रमांक–1 सिद्दीक पिता जब्बार महोम्मद तर्फे अधिवक्ता द्वारा अपील में लेख किया गया कि धार शहर के हटवाडा स्थित इमामबाडा जो कि विगत 155 वर्ष पुराना निर्माण होकर आज दिनांक तक उक्त भवन को शहर के इमामबाडे के रूप में उपयोग करते किया जाता रहा है। उक्त उपयोग एवं उपभोग से किसी कोई आपत्ति/अड़चन नहीं हुई है। धार दरबार के महाराज स्व. श्री आनंदराव पंवार साहब के शासन काल में उक्त भवन का उपयोग एवं उपभोग हजरत इमाम हुसैन के इमामबाडे के रूप में होता आ रहा है, जिसमें स्व. महाराज आनंदराव पंवार साहब स्वयं हजरत इमाम हुसैन की याद में ना सिर्फ ताजिये का निर्माण करवाते थे, बल्की माहर्रम के 10 दिवसीय कार्यक्रम की 10 तारीख

प्रकरण क्र. 0208 / अपील / 2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221 / अपील / 2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

को स्वयं उपस्थित होकर हाजरी देकर सलामी देते थे। यह व्यवस्था धार राज्य के विलीनी कारण और देश के आजाद होने के दिवस दिनांक 15.08.1947 को भी कायम रही और इसके उपरांत भी जारी है। इस परम्परा को भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारियों या विभाग ने भी जारी रखा एवं आज तक नहीं रोका गया है। दिनांक 18.08.2023 को अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग(भवन–पथ), उप संभाग, धार द्वारा जारी पत्र अनुसार उक्त ताजिया कमेट का अवैध अधिपत्य बताते हुए 48 घण्टे के अन्दर रिक्त किये जाने का आदेश दिया गया था। उक्त सूचना पत्र को याचिकाकर्ता अनवर खा एवं सिद्दीक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 21410/2023 के माध्यम से चुनोती दी गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर द्वारा स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.08.2023 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने संबंधी निर्णय पारित किया गया। उक्त आदेश के परिपालन में अनुवभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं को लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी बताते हुए दिनांक 02.05.2025 को प्रकरण संस्थित करते हुए दिनांक 14.07.2025 को आदेश पारित किया जाकर ताजिया कमेट एवं अन्य को इमामबाडे परिसर को 02 सप्ताह के भीतर खाली करने को आदेशित किया गया अन्यथा की दशा में बल का प्रयोग करने के आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी बेदखली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 से संतुष्ट होकर अपीलार्थी सिद्दीक पिता जब्बार मोहम्मद तर्फे अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है:–

I. यह कि, प्रकरण में कलेक्टर, जिला धार के कार्य विभाजन आदेश दिनांक 29.11.2024 से अनुविभागीय अधिकारी को लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 के तहत सक्षम प्राधिकारी का कार्य शामिल है। बावजूद इसके अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग धार द्वारा दिनांक 29.04.2025 को पत्र लिखकर स्वयं को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने का निवेदन किया। जिसे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग धार को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसे मामले में निर्णायक नियुक्त नहीं किया जा सकता जो ऐसे किसी मामले में स्वयं कोई हित या रूचि रखता हो।

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

II. यह कि, अपीलार्थी एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रदाय नहीं किया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकार को प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज की प्रति उपलब्ध करवाई जाना आवश्यक है, ताकि वह दस्तावेज अवलोकन कर अपना पक्ष रख सके।

III. यह कि, म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 की धारा 4 की उपधारा 2(i) अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुति हेतु 10 दिवस का अवसर प्रदान किया जाना था, परंतु 7 दिवस की पेशी नियत कर पक्ष प्रस्तुति हेतु निर्देशित किया गया।

IV. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग धार लोक परिसर बेदखली अधिनियम, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी नहीं थे। अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी वह व्यक्ति हो सकता है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो। सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कलेक्टर को प्राप्त नहीं है, ना ही कार्यविभाजन या विशेष आदेश के माध्यम से ऐसी नियुक्त की जा सकती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित बेदखली आदेश बिना अधिकारिता के अनाधिकृत रूप से बिना क्षेत्राधिकार पारित हुआ है।

V. यह कि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.04.2025 में कहीं अपीलार्थी या अन्य किसी को अवैध अधिपत्यधारी नहीं बताया गया है, बावजूद इसके अपीलार्थी व अन्य को अवैध अधिपत्यधारी मानकर त्रुटि की है।

VI. यह कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 4 की उपधारा 1 में जारी सूचना पत्र में आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलार्थी एवं अन्य द्वारा सूचना पत्र में उल्लेखित सीमित आधारों पर अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया, परंतु सूचना पत्र के भाग–ख में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया।

VII. यह कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 4 की उपधारा 1 में जारी सूचना पत्र की अनुसूची भाग–क में लोक निर्माण संभाग धार की बुक पत्र क्र. 12 में अंकित परिसर के संबंध में सूचना पत्र जारी किया गया, परंतु अंतिम आदेश दिनांक 14.07.2025 चेरिटेबल बुक के क्र. 11 पर अंकित परिसर के संबंध में आदेश पारित किया गया।

....6

VIII. यह कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण को कभी साक्ष्य के प्रक्रम पर नियत नहीं किया, ना ही भवन के लोक परिसर होने के संबंध में साक्ष्य ली गई। सक्षम प्राधिकारी के लिए सर्वप्रथम यह समाधान करना आवश्यक था, कि कथित परिसर लोक परिसर है या नहीं। लोक निर्माण विभाग के पत्र पर उनका स्वामित्व मान कर परिसर को लोक संपत्ति का दर्जा देकर त्रुटि की है।

IX. यह कि, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत सूची के क्र. 12 की कोई प्रविष्टि नहीं है एवं क्र. 11 में दर्शित परिसर की विशिष्टियों, क्षेत्रफल, चतुर्सीमा इत्यादि का उल्लेख नहीं है। उक्त परिसर उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 2(ग) में परिभाषित उपासना स्थल होने से उक्त अधिनियम के प्रावधान आकृष्ट होते है।

X. यह कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण की सुनवाई व निराकरण अत्यंत ही जल्दबाजी में किया गया व निकट–निकट पेशियां नियत कर जल्दबाजी में अंतिम आदेश पारित किया है।

XI. यह कि, परिसर के संबंध में जिस पर विगत 78 वर्ष से लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दावा नहीं किया व इमामबाड़ा पूर्ण रूप से निर्विवादित व अबाधित कब्जे में रहा है, के संबंध में 2 माह से कम समय की कार्यवाही में प्रकरण का निराकरण कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्रुटि की है।

XII. यह कि, शासन द्वारा रिट याचिका क्र. 21410/2023 में दिनांक 14.12.1977 का एक दस्तावेज आर/3 पर से किसी अकील मोहम्मद का आम जनता की ओर से आवेदनकर्ता को अनुमति एवं किराए पर देने का उल्लेख किया गया है, परंतु उक्त उल्लेख प्रकरण व प्रस्तुत रजिस्टर में नहीं है।

XIII. यह कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिन निर्णयों के आधार पर आदेश पारित किया गया, ऐसे किसी प्रकरण में अपीलार्थी या अन्य कोई आपत्तिकर्ता पक्षकार नहीं है, जिसके चलते ऐसे प्रकरण का कोई फैसला अपीलार्थी या ताजिया कमेटी पर लागू नहीं होता है।

अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

7/ अपीलार्थी क्रमांक–2 अश्फाक पिता यासिन खॉ तर्फे अधिवक्ता द्वारा निम्नानुसार आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई हैः–

प्रकरण क्र. 0208 / अपील / 2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221 / अपील / 2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

I. यह कि, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में यह तथ्य उठाये गये थे कि उक्त सरकारी इमामबाड़ा धार महाराज श्रीमंत आनंदराव पंवार धार के द्वारा सन् 1795 में मुस्लिम समाज को ताजिया निर्माण करने हेतु दिया जाना प्रारंभ किया। वर्ष 1795 से लगातार निर्बाध निरंतर कब्जा बिना किसी बाधार रोक के 153 वर्ष से चला आ रहा है। आम जनता की जानकारी में इमामबाड़ा मुस्लिम समाज का होकर उस पर वर्षो से ताजिया निर्माण की जानकारी होने के बाद भी बेदखली का आदेश देने में त्रुटि की है।

II. यह कि, विचारण न्यायालय संपूर्ण तथ्यों को समझे बिना और जवाब में उठाये गये तथ्यों को नजर अंदाज कर ऐतिहासिक परंपरा एवं आस्था से जुड़े हुये धार्मिक स्थल इमामबाड़ा परिसर धार के संबंध में मान. जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के मद्देनजर आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

III. यह कि, विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अनावेदकगण को सुनवाई का युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना व साक्ष्य प्रस्तुत करने और विभाग के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना मात्र जवाब व तर्क सुनवाई आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

IV. यह कि, विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अंदाज किया गया कि उक्त इमामबाड़ा सन् 1795 में धार महाराज श्रीमंत आनंदराव पंवार द्वारा मुस्लिम समाज को ताजिया निर्माण हेतु दिया गया था। जिस संबंध में उक्त आदेश पारित कर विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 के मूलभूत अधिकारों का हनन कर त्रुटि की है।

अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

8/ प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण बुलाया गया एवं पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया गया। दोनों अपीलार्थी के अधिवक्तागण द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किये गए। प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा भी मौखिक एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किये गए।

9/ अपीलार्थी क्र. 1 सिद्दीक पिता जब्बार मोहम्मद तर्फे अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी.के तहत भी एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किये।

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

10/ अपीलार्थी क्र. 1 सिद्दीक पिता जब्बार मोहम्मद के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में बताया कि उक्त इमामबाड़ा ऐतिहासिक परिसर है, उक्त इमामबाड़े में धार्मिक गतिविधियों का आयोजन विगत 155 वर्षों से किया जा रहा है। उक्त परिसर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 के अंतर्गत आता है। उक्त एक्ट के आज्ञापक प्रावधान अनुसार स्वरूप के साथ किसी भी अवस्था में परिवर्धन व परिवर्तन नहीं किया जा सकता है एवं उसके प्रयोग से रोका भी नहीं जा सकता है। उक्त संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा अश्विनी कुमार उपाध्याय वि. भारत संघ एवं अन्य में आदेश दिनांक 12.12.2024 अवलोकनीय है। व्यवहार वाद में यह निर्णित किया कि संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है। मान. उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित होकर उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उक्त स्थल पर सरकारी ताजिया बनाया जाता है। व्यवहार वाद में शासन पक्ष का प्रतिदावा नहीं है। अपीलार्थी ताजिया कमेटी से है। वर्ष 1947 के पूर्व से इमामबाड़ा है और लगातार उपयोग में है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण की कार्यवाही नहीं चलेगी। ताजिया कमेटी को व्यवहार न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया। अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के सूचना पत्र दिनांक 10.07.2023 एवं 18.08.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी एवं अन्य उच्च न्यायालय गए थे। मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा WP No. 21410/2023 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 22.04.2025 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार को निर्देशित किया जाने से उक्त आदेश के परिपालन में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की। वर्ष 2023 में पहली बार कार्यवाही शुरू हुई। लोक परिसर बेदखली अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। वर्ष 1975 के संशोधन से कलेक्टर को शक्ति प्रत्यायोजित हुई तथा कलेक्टर द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी का नोटिफिकेशन होना चाहिए। धारा 3 के तहत गजट नोटिफिकेशन, धारा 17 के तहत गजट नोटिफिकेशन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) धार का गजट नोटिफिकेशन नहीं है। कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन से अधिकार नहीं मिलेंगे। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कर्तव्यों का पालन नहीं किया एवं सक्षम प्राधिकारी के मत अनुसार प्रश्नाधीन परिसर लोक परिसर है या नहीं का निर्णय नहीं लिया। कार्यवाही के लिए 10 दिवस का नोटिस देना होगा एवं कारण भी बताना होगा। 2B(ii) के अनुसार साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए। फॉर्म–ए में दो दिनांक के नोटिस जारी किए। दिनांक 02.05.2023 को अनवर उपस्थित हो गया था, इसे पुनः दिनांक 15.05.2025 को नोटिस दे दिया। ताजिया हेतु 02 कमेटी होकर 11–11 सदस्य है। फॉर्म–ए का नोटिस विधिवत नहीं है। वर्ष 1962 में

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025—26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025—26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

उक्त परिसर 30 दिवस के लिये दिया जाना बताया, लोक निर्माण विभाग/कलेक्टर का पत्र रिकार्ड में नहीं है। किराया बकाया है क्या, नहीं बताया। वर्ष 1977 में अकलीम मो. को देना बता रहे है, कोई दस्तावेज नहीं है। अधिनियम के अनुसार 10 दिवस का समय देना था, सूचना पत्र में 24 घण्टे का समय दिया। धारा 4 के अनुसार नोटिस का कंटेंट नहीं है। कारण नहीं बताया एवं साक्ष्य भी नहीं ली गई। मान. उच्च न्यायालय के आदेश एवं फॉर्म—ए दोनों का पालन नहीं किया। आवेदक लोक निर्माण विभाग को उक्त परिसर लोक परिसर के रूप में सिद्ध करना था एवं सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट होना था। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पैरा नंबर 7, 8, 9, 10 अनुसार आपत्तियों का उचित निराकरण नहीं किया गया। उक्त भवन को लोक निर्माण विभाग कॉलम नंबर 11 पर अंकित किया है। परिसर धर्मार्थ प्रयोजन का होकर खाली कराने का कोई औचित्य नहीं है। किराये का हवाला नहीं है। परिसर का मैंटेनेंस शासन करें। मान. उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1971 के आदेश अनुसार शासन को साक्ष्य से सिद्ध करना होगा कि लोक परिसर है। किराये/नुकसान का धारा 7 का सूचना पत्र नहीं दिया। शासन को परिसर की आवश्यकता क्या है ? नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का पालन नहीं किया। प्रकरण लोक निर्माण विभाग ने इन्ट्री नंबर 12 के लिये प्रकरण लगाया, जो प्रकरण में पेश नहीं है। प्रकरण में लोक सूचना का प्रकाशन हुआ, किसी को अवसर नहीं दिया। परिसर का शीर्षक विवादित है। उक्त परिसर के संबंध में म.प्र. सरकारी परिसर (बेदखली) अधिनियम 1952 अधिनियम के तहत कभी कार्यवाही नहीं हुई। प्रकरण में व्यवहार न्यायालय की तरह कार्यवाही एवं दस्तावेज प्रस्तुत तथा साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण होना था। अपीलार्थी सदर है तथा सामान्य अधिकारों पर प्रकरण पेश किया है। प्रकरण में दिनांक 02.05.2025 को सूचना पत्र दिया, जबकि गजट नोटिफिकेशन दिनांक 04.07.2025 का है। जब कार्यवाही शुरू हुई तब गजट नोटिफिकेशन नहीं था। कार्यवाही शुरू से ही शून्य है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार जिला धार का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14.07.2025 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

11/ अपीलार्थी क्रमांक 2 अश्फाक पिता यासिन खाँ तर्फे अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि ताजिया कमेटी जो उच्चतम न्यायालय गई है, उसे वक्फ बोर्ड ने नियुक्त किया है। अपीलार्थी को पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। नगर पालिका के संपत्ति रजिस्टर में वर्ष 1965—66 से 1969—70 से 76 नंबर

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

पर इमामबाड़ा–वक्फ संपत्ति दर्ज है। इस कारण लोक परिसर बेदखली अधिनियम की धारा 104(बी) के तहत प्रकरण नहीं चल सकता। म.प्र. राजपत्र 18 जनवरी 1985 से 2807 वर्गफीट पर इमामबाड़ा दर्ज है। वक्फ एक्ट की धारा 6 गजट नोटिफिकेशन के 01 वर्ष के भीतर ही वाद संस्थित हो सकता है। वक्ट एक्ट की धारा 85 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने की मांग की गई।

12/ दोनों प्रकरणों में प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा समक्ष में/लिखित तर्क प्रस्तुत किये गए। जिसमें उनके द्वारा बताया कि मान. उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर की याचिका WP No. 21410/2023 में आदेश दिनांक 22.04.2025 के परिपालन में अपीलार्थी को विधिवत सूचना पत्र निर्वाहित कर आम व्यक्तियों व संस्था को भी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया एवं सुनवाई व पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आपत्ति का निराकरण कर विधिवत म.प्र. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के प्रावधान अनुसार आदेश पारित किया गया। आपत्तिकर्ताओं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। 02 सदर है। हाईकोर्ट में 02 लोग गए थे। प्रकरण में अनवर को पक्षकार नहीं बनाया, पक्षकारों का असंयोजन है। अनवर ने कोई अपील पेश नहीं की। कार्यालय कलेक्टर, जिला धार के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक/1647–72/स्थापना/2024, दिनांक 29.11.2024 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया होकर उसे म.प्र. राजपत्र दिनांक 11.07.2025 में दिनांक 04.07.2025 को अधिसूचित किया जाकर म.प्र. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति) 1(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जो सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पद से अनिम्न पद का अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी के रूप में जिला धार के अंतर्गत अपने अनुभाग क्षेत्र के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग क्षेत्र धार को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया होकर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर द्वारा भी रिट याचिका में अनुविभागीय अधिकारी को विधिवत सूचना पत्र निर्वाहित कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निराकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये गए है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में सुनवाई या आदेश पारित करने की अधिकारिता नही

....11

होनेकी आपत्ति निराधार होकर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। कार्यविभाजन आदेश दिनांक 29.11.2024 एवं म.प्र. राजपत्र दिनांक 11.07.2025 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 04.07.2025 तथा मान. उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर के आदेश दिनांक 22.04.2025 की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की। प्रश्नाधीन इमामबाड़ा भवन के संबंध में वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश धार के समक्ष प्रस्तुत व्यवहार वाद क्र. 11–ए/1976 निर्णय दिनांक 31.07.1978 द्वारा निरस्त किया जाकर इमामबाड़ा वक्फ संपत्ति नहीं होना मान्य कर शासन प्रतिनिधि द्वारा उक्त भवन का कब्जा लिये जाने में कोई अवैधानिक कृत्य नहीं किया जाना मान्य किया है। उक्त निर्णय/डिक्री के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर के समक्ष प्रस्तुत सिविल प्रथम अपील क्र. 96/1978 आदेश दिनांक 27.08.1985 द्वारा निरस्त कर जिला न्यायाधीश, धार द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 31.07.1978 यथावत रखा गया है। वक्फ का दावा उच्च न्यायालय ने नहीं माना। व्यवहार वाद को उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी को प्रश्नाधीन इमामबाड़ा भवन पर लोक निर्माण विभाग (शासन) के अधिपत्य एवं स्वामित्व को आक्षेपित करने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है, मान. जिला न्यायाधीश एवं मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों से प्रश्नाधीन इमामबाड़ा भवन लोक निर्माण विभाग के अधिपत्य एवं स्वामित्व का होकर पूर्व में भी इमामबाड़ा भवन को निर्धारित समय के लिये दी जाती रही होना प्रमाणित होने व पश्चातवर्ती क्रम में अपीलार्थी व अन्य द्वारा बिना इमामबाड़ा भवन का किराया जमा कर बिना अनुमति कब्जा बनाये रखे जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म.प्र. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974 के नियमों, प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। मान. उच्च न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को सुनवाई एवं निर्णय का आदेश दिया गया है, साथ ही कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों, तर्कों एवं कानून का विचार करते अपील आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

13/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गए। प्रस्तुत लिखित तर्कों एवं न्यायालयीन न्याय दृष्टांतों का परिशीलन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्नानुसार स्थिति पाई गई :–

....12

प्रकरण क्र. 0208 / अपील / 2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221 / अपील / 2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

13.1/ लोक निर्माण विभाग धार द्वारा जारी बेदखली नोटिस दिनांक 18.08.2023 से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता अनवर खान एवं सिद्दीक पिता जब्बार मोहम्मद (अपीलार्थी क्रमांक 1) द्वारा मान. उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर के रिट याचिका क्रमांक 21410/2023 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में निर्णय दिनांक 22.04.2025 को पारित किया गया होकर लोक निर्माण विभाग धार के बेदखली नोटिस दिनांक 18.08.2023 को निरस्त किया गया जाकर याचिकाकर्ता को अनुविभागीय अधिकारी धार के समक्ष दिनांक 02.05.2025 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी धार को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

13.2/ माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 21410/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग–धार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई।

13.3/ सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार के पद पर होकर डिप्टी कलेक्टर के पद से अनिम्न पद के अधिकारी है एवं राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम की धारा 17 (शक्तियों का प्रत्यायोजन) के अनुसरण में बेदखली अधिनियम में राज्य सरकार की शक्तियां कलेक्टर द्वारा प्रयोक्तव्य होगी, के संबंध में अधिसूचना दिनांक 05.02.1975 को जारी की गई थी, जिसे राजपत्र में दिनांक 13.02.1976 में प्रकाशित किया गया। कलेक्टर, जिला धार, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु प्राधिकृत है एवं कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन आदेश दिनांक 29.11.2024 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा कलेक्टर, जिला धार एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना का म.प्र. राजपत्र भाग–1 में प्रकाशन दिनांक 11.07.2025 को किया गया है एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्देश पर प्रारंभ की गई एवं अंतिम आदेश दिनांक 14.07.2025 के पूर्व ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार को सक्षम अधिकारी प्राधिकृत करने की अधिसूचना पृथक से दिनांक 11.07.2025 को राजपत्र में प्रकाशित की गई। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार द्वारा सक्षम प्राधिकारी, लोक

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

परिसर बेदखली अधिनियम के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में चलायी गई प्रक्रिया में कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

13.4/ माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 21410/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 के परिपालन में अपीलार्थी क्रमांक 1, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग–धार के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियत पेशी दिनांक 02.05.2025 को उपस्थित नहीं हुए।

13.5/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग–धार द्वारा अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थी क्रमांक 1 को सूचना पत्र जारी किया गया एवं संबंधित स्थल पर चस्पा किया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में आम सूचना प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रकरण में पेशी दिनांक 26–05–2025 के पूर्व या नियत पेशी दिनांक पर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु प्रसारित की गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग–धार द्वारा आम सूचना उक्त परिसर के संबंध में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रसारित की गई थी तथा प्रकरण प्रचलन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निराकरण विधि अनुरूप किया गया है।

13.6/ अपीलर्थी की आपत्ति कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार को मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद दिनांक 11–07–2025 को हुआ, उक्त संबंध में मान. उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर द्वारा Karan Singh and Others Vs State of M.P. and others reported in 2008(4) MPLJ 338 में पारित आदेश से किया गया है :– "The order of the Collector, Chhatarpur appointing all Sub Divisional Officers, including respondent no. 5, as Competent Authority, thus also became operative from 16-4-1976. Respondent No. 5 was, therefore, a Competent Authority within the meaning of section 3 when he passed the order dated 10-2-2000." उक्त न्याय दृष्टांत से प्रतिपादित है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उचित है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिस समय अंतिम आदेश पारित किया गया, उस समय अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी थी। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर के निर्देश पर प्रारंभ

....14

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

की गई थी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग–धार को सक्षम अधिकारी प्राधिकृत करने की अधिसूचना भी आदेश के पूर्व राजपत्र भाग–1 में प्रकाशित की जा चुकी थी।

13.7/ प्रश्नगत परिसर के संबंध में जिला जज धार मा. श्री वाय.बी. सूर्यवंशी के न्यायालय का RCA क्रमांक 11–A/1976 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.1978 एवं डिक्री के माध्यम से इमामबाड़ा भवन वक्फ संपत्ति नहीं होना तथा शासकीय प्रतिनिधि द्वारा उक्त भवन का कब्जा लिया जाना अवैधानिक कृत्य नहीं है तथा इमामबाड़ा भवन लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की संपत्ति होना घोषित किया गया है। साथ ही मान. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 96/1978 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.1985 से जिला जज धार द्वारा दिनांक 31.07.1978 को पारित निर्णय यथावत रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः प्रमाणित है कि उक्त संपत्ति लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की संपत्ति है।

13.8/ अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने की मांग की गई है। उक्त परिसर में धार्मिक गतिविधियों का आयोजन होने से उक्त परिसर उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 की धारा 2(ग) में परिभाषित 'उपासना स्थल' होने से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होना उल्लेखित किया गया है। जबकि जिला जज धार के RCA क्रमांक 11–A/1976 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31.07.1978 के माध्यम से हटवाड़ा स्थित इमामबाड़ा भवन लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की संपत्ति होना घोषित किया गया है। प्रश्नगत संपत्ति शासन की संपत्ति होकर लोक परिसर की श्रेणी में आता होकर उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

13.9/ प्रश्नगत संपत्ति लोक निर्माण विभाग के बिल्डंग रजिस्टर में इमामबाड़ा दर्ज होकर राज्य शासन की पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अधिकृत संपत्ति दर्ज है। प्रत्यर्थी लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी स्पष्ट होता है कि उक्त परिसर ताजिया निर्माण हेतु एक निश्चित अवधि के लिये दिया जाता था, जिसका कराया किरायेदार के रूप में कमेटी को निश्चित किया गया था। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग धार के पत्र क्रमांक 1683/तक/भवन/2025–26 धार, दिनांक 29.04.2025 से हटवाड़ा स्थित शासकीय इमामबाड़ा एवं चार दुकानें जो लोक निर्माण विभाग की बुक पर क्रमांक 12 सन् 1947 से अंकित है। उक्त

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025–26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

इमामबाड़ा को तत्कालीन कलेक्टर, जिला धार द्वारा पत्र क्रमांक 11502 दिनांक 26.05.1962 में दिए गए आदेश के आधार पर ताजिया निर्माण हेतु 30 दिवस के लिए सदर ताजिया कमेटी इमामबाड़ा धार को प्रदाय की गई थी। पुनः कलेक्टर जिला धार के पत्र क्रमांक 1043/RM/73, दिनांक 19.01.1973 के द्वारा सदर मुस्लिम ताजिया कमेटी धार को किराए पर दिनांक 02.02.1973 से 17.02.1973 तक दी गई थी। उक्त अनुमति वर्ष 1977 तक प्रदाय की गई। उसके उपरांत कमेटी द्वारा न तो कोई अनुमति ली गई है और ना ही सदर ताजिया कमेटी द्वारा कोई किराया जमा किया गया। उक्त संपत्ति स्टेट टाईम में 1947 से लोक निर्माण विभाग की बुक पर होकर कब्जे में है।

10.10/ अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसे कोई साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गए है, जिससे उक्त परिसर लोक निर्माण विभाग का नहीं होकर अपीलार्थीगण/सदर मुस्लिम ताजिया कमेटी धार का अधिपत्य प्रमाणित हो सके। अपीलार्थी द्वारा नगर पालिका परिषद धार का संपत्ति कर निर्धारित रजिस्टर की प्रति जिसके अ.क्र. 76 पर भवन क्रमांक 319 इमामबाड़ा उल्लेखित है, प्रस्तुत किया है। उक्त छायाप्रति जो हस्तगत होकर इमामबाड़ा के नीचे 'वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय' लिखा है। प्रथमतया तो नगर पालिका के संपत्ति कर रजिस्टर से संपत्ति का हक प्राप्त नहीं होता होकर मात्र कर प्राप्ति हेतु बनाया जाता है एवं दूसरा इमामबाड़ा तथा नीचे अंकित 'वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय' की लिखावट भिन्न–भिन्न होने से संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके साथ ही यह विषय पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा निर्णित हो गया है कि इमामबाड़ा वक्फ संपत्ति नहीं है।

14/ अतः प्रकरण में उपरोक्त अभिलेखनीय विवेचना एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत पृथक–पृथक अपीलें आधारहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, लोक परिसर बेदखली अधिनियम, धार जिला धार द्वारा म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 के तहत पारित बेदखली आदेश दिनांक 14.07.2025 विधि अनुरूप होने से यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।

19.8.2025
(दीपक सिंह)
आयुक्त,
इंदौर संभाग, इंदौर

प्रकरण क्र. 0208/अपील/2025—26
RCMS No -06RD01-APP-25659410
प्रकरण क्र. 0221/अपील/2025—26
RCMS No -06RD01-APP-25699854

पृ.क्रमांक/ 877 /रीडर/5/2025 इंदौर, दिनांक/19/08/2025

01— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग—अनुभाग—धार जिला धार की ओर उनका प्रकरण क्रमांक 0002/अ—74/2025—26 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
संलग्न :— (मूल प्रकरण)

19.8.2025
आयुक्त,
इंदौर संभाग,इंदौर

Digitally signed by Deepak Singh
Date: 2025.08.19 23:07:49 +05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH